उत्तर प्रदेश सरकार

श्रम अनुभाग–3

संख्या–1638(वि0)/36–4–(बी0सी0)–78

लखनऊ, दिनांक 23 फरवरी, 1979

अधिसूचना

प्रकीर्ण

बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 (अधिनियम संख्या 32, 1966) की धारा 41 के अधीन शक्ति का प्रयाग करके राज्यपाल गृह कर्मकारों को उक्त अधिनियम की धारा 26 और 27 के उपबन्धों से निम्नलिखित शर्तों पर छूट देते हैं –

(1) उक्त अधिनियम की धारा 26 की उप–धारा (3) के उपबन्धों के अधीन उपार्जित छुट्टी की अवधि के बदले में गृह कर्मकारों को पाक्षिक किस्तों में अतिरिक्त वित्तीय सुविधा दी जायेगी ;

(2) इस अतिरिक्त वित्तीय सुविधा की धनराशि गृह कर्मकारों द्वारा बनाई गई कुल बीड़ी की मजदूरी के पांच प्रतिशत के बराबर होगी ;

(3) यह अतिरिक्त वित्तीय सुविधा 1977 से देय होगी और इस **मद्दे** बकाया धनराशि का भुगतान तीन समान किश्तों में 31 मार्च, 1979, 30 जून, 1979 और 30 सितम्बर, 1979 को किया जायेगा।

(4) यह छूट किसी स्त्री कर्मचारी के संबंध में लागू न होगी ।

आज्ञा से,

सरन प्रसाद

विशेष सचिव ।